


## यू0ओ0नोट

विषय :- लॉटरी दिनांक 11.11.2022 में चिन्हित जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 20, 21 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-4, एस-9, एस-10, एस-11, एस-14 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता को जोनल प्लान 10 की प्रस्तावित 30 मीटर सैक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण किये जाने पर आरक्षण पत्र अनुसार जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 20, 21 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-4, एस-9, एस-10, एस-11, एस-14 चिन्हित किये गये थे। उक्त योजना की भूमि के खसरा नम्बरान् पर माननीय न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर-प्रथम में दायर वाद संख्या 62/94 में दिनांक 24.08.1994 से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटी के प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त योजना में लॉटरी द्वारा चिन्हित भूखण्डों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा चिन्हित आवासीय भूखण्ड संख्या 20, 21 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-4, एस-9, एस-10, एस-11, एस-14 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

सिस्टम एनालिस्ट  
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी- 3071  
दिनांक :- 21/9/23

## यू0ओ0नोट

विषय :- लॉटरी दिनांक 11.11.2022 में चिन्हित जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-21 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता, श्री वेद प्रकाश महर्षि पुत्र श्री नाथूलाल महर्षि एवं श्री मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव को जोनल प्लान 10 की प्रस्तावित 30 मीटर सैक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण किये जाने पर आरक्षण पत्र अनुसार जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-21 चिन्हित किये गये थे। उक्त योजना की भूमि के खसरा नम्बरान् पर माननीय न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर-प्रथम में दायर वाद संख्या 62/94 में दिनांक 24.08.1994 से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटी के प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त योजना में लॉटरी द्वारा चिन्हित भूखण्डों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा चिन्हित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-21 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

सिस्टम एनालिस्ट  
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी- 3072  
दिनांक :- 21/11/22



## यू0ओ0नोट

विषय :- लॉटरी दिनांक 11.11.2022 में चिन्हित जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 18 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-22 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुरारी लाल अग्रवाल को जोनल प्लान 10 की प्रस्तावित 60 मीटर सैक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण किये जाने पर आरक्षण पत्र अनुसार जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 18 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-22 चिन्हित किये गये थे। उक्त योजना की भूमि के खसरा नम्बरान् पर माननीय न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर-प्रथम में दायर वाद संख्या 62/94 में दिनांक 24.08.1994 से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटी के प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त योजना में लॉटरी द्वारा चिन्हित भूखण्डों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा चिन्हित आवासीय भूखण्ड संख्या 18 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-22 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर  


सिस्टम एनालिस्ट  
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी- 3070  
दिनांक :- 21/9/23


यू0ओ0नोट

विषय :- लॉटरी दिनांक 11.11.2022 में चिन्हित जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 9, 14, 31, 35, 38, 39, 40 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-6 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्रीमती धन्नी देवी पत्नी श्री चन्दाराम को जोनल प्लान 10 की प्रस्तावित 60 मीटर सैक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण किये जाने पर आरक्षण पत्र अनुसार जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 9, 14, 31, 35, 38, 39, 40 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-6 चिन्हित किये गये थे। उक्त योजना की भूमि के खसरा नम्बरान् पर माननीय न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर-प्रथम में दायर वाद संख्या 62/94 में दिनांक 24.08.1994 से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटी के प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त योजना में लॉटरी द्वारा चिन्हित भूखण्डों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जविप्रा की आवासीय योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 133, 156/228 व अन्य में लॉटरी दिनांक 11.11.2022 के द्वारा चिन्हित आवासीय भूखण्ड संख्या 9, 14, 31, 35, 38, 39, 40 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-6 को सीपीआरएमएस पर निरस्त करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


  
उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर


सिस्टम एनालिस्ट  
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी-2151  
दिनांक 25/8/23

ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा के खसरा नम्बरान्  
133,156/228,157,154/229,158,159,160,193/230,196/231 में निरस्त किये जाने वाले  
आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	सर्विस नम्बर	भूखण्ड संख्या	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)
1.	1677000079	9	आवासीय	318.84
2.	1677000084	14	आवासीय	226.77
3.	1677000101	31	आवासीय	162
4.	1677000105	35	आवासीय	162
5.	1677000108	38	आवासीय	309.26
6.	1677000109	39	आवासीय	240.29
7.	1677000110	40	आवासीय	215.57
8.	1677000022	C6	व्यावसायिक	450

  
सहायक नगर नियोजक

  
उपायुक्त जीन-8  
उपायुक्त जीन - 8  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर